पत्रांक— 11 न0वि0 अभि0 (को0) न्या0 37/2017-1180 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, कटिहार।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
कटिहार।

पटना, दिनांक—19/9/17

विषयः— निविदा आमंत्रण सूचना सं0—10/2015—16 के ग्रुप सं0—01 के कार्य चतर्थ राज्य वित्त अयोग निधि अन्तर्गत वार्ड नं0—07 में गणेश झा के घर से शंकर भगत के घर होते हुए राजन यादव के बाउण्ड्री वाल तक एवं श्याम नन्दन सिन्हा के घर के सामने से गणेश झा के घर तक पी0सी0सी0 सड़क एवं ढ़क्कन सहित नाला का निर्माण कार्य के संबंध में रीट संख्या CWJC- 243/2017 श्री साजन कुमार यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामलें में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः— इस कार्यालय के पत्रांक—1958 दिनांक—16.12.2016

महाशय,

इस कार्यालय के पत्रांक—1958 दिनांक—16.12.2016 द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0—10/2015—16 के ग्रुप सं0—01 के कार्य हेतु श्री साजन कुमार यादव की निविदा मान्य परन्तु एकल रहने के कारण पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0—3162(s) दिनांक—09.05.2016 के आलोक में निविदा रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया गया था।

श्री साजन कुमार यादव द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में CWJC- 243/2017 श्री साजन कुमार यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य संबंधी वाद दायर किया गया था।

दिनांक—18.05.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC- 8869/2016 में दिये गये निर्णय के अनुरूप कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कृपया यह प्रतिवेदित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु पुनर्निविदा/किसी अन्य संवेदक से कार्य संपादित कराया गया है या नहीं।

उल्लेखनीय है कि CWJC- 8869/2016 में मान्य संवेदक द्वारा परिमाण विपत्र के राशि से 10% कम का दर उद्धृत किया गया था।

यदि उक्त कार्य की पुनर्निविदा/किसी अन्य संवेदक से कार्य नहीं कराया गया है तो संवेदक को दर प्रक्रमण हेतु इस कार्यालय में दिनांक—22.09.2017 को उपस्थित कराने हेतु अपने स्तर से सूचित करने की कार्रवाई करेंगे।

निविदा की वैद्यता अवधि दिनांक—06.07.2016 को समाप्त हो चुकी है। फलतः दिनांक—06.07.2016 से निविदा निस्तार की अवधि तक निविदा की वैद्यता अवधि बढ़ाने पर भी संवेदक से सहमति पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

~~अनु0:— यथोक्त~~।

19.IX.17

मुख्य अभियंता
नगर विकास एवं आवास विभाग